[राज्य सभा द्वारा 27 अगस्त, 2013 को
पारित रूप में]

2013 का विधेयक संख्यांक 57-सी

[दि रिप्रेजेन्टेशन ऑफ दि पीपुल (अमेंडमेंट एंड वेलीडेशन) बिल, 2013 का हिन्दी अनुवाद]

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013

**लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक**

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2013 है।

(*2*) यह 10 जुलाई, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 7 का संशोधन।

1951 का 43

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के खंड (ख) में, ''निरर्हता से'' शब्दों के पश्चात् ''इस अध्याय के उपबंधों के अधीन ही न कि किसी अन्य आधार पर'' शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 62 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (5) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थपित किया जाएगा, अर्थात:—

''परन्तु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामवली में दर्ज किया जा चुका है, इस उपधारा के अधीन मत देने पर प्रतिषेध के कारण मतदाता होने से प्रविरत नहीं होगा।''।

विधिमान्यकरण।

4. किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपबंध, सभी प्रयोजनों के लिए प्रभावी होंगे और सदैव से इस प्रकार प्रभावी हुए समझे जाएंगे मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों। 1951 का 43

GMGIPMRND—2369RS—27-08-2013.